

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि० संख्या:- 3/अ०प्र०-01-96/2022 375 /पटना, दिनांक :- 8.2.24

जिलाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा श्री नवनील कुमार हिमांशु, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर के विरुद्ध लापरवाही एवं गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारण शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर जनप्रतिनिधियों के बीच विवाद/टकराव की स्थिति उत्पन्न होने एवं विधि व्यवस्था संबंधी समस्या उत्पन्न होने का उल्लेख करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई। साथ ही मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा भी श्री हिमांशु के विरुद्ध निविदाओं का तुलनात्मक विवरणी कई बार पत्र एवं स्मार दिये जाने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराने, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समाधान यात्रा के दौरान की गई बैठकों में जनप्रतिनिधियों के मामले का अनुपालन नहीं करने, नयी अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत Surface Renewal कार्य के लिये निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष में उनके द्वारा किये गये कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी रहने इत्यादि से संबंधित आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

उक्त आलोक में श्री हिमांशु को विभागीय अधिसूचना सं०-1895 दिनांक-31.08.2023 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। साथ ही श्री हिमांशु के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-1900 अनु० दिनांक-01.09.2023 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई।

उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के कारण मामले की गहन/विस्तृत जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं०-2510 दिनांक-27.11.2023 द्वारा मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-4120 अनु० दिनांक-20.12.2023 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप से संबंधित कतिपय बिन्दुओं पर अपना मतव्य नहीं दिया गया। तदालोक में विभागीय पत्रांक-65 अनु० दिनांक-08.01.2024 द्वारा पुनः जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए मूल कागजात संचालन पदाधिकारी को वापस किया गया।


इसी बीच श्री हिमांशु, निलंबित कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार) के द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक-11.01.2024 समर्पित किया गया। उक्त अभ्यावेदन में उनके द्वारा आर्थिक स्थिति दयनीय होने के फलस्वरूप जीवन यापन में कठिनाई उत्पन्न होने का उल्लेख किया गया तथा निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया गया।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की समग्र समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्री हिमांशु तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय-अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को यथावत रखते हुए श्री हिमांशु को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री नवनील कुमार हिमांशु, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय-अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया के विरुद्ध मुख्य अभियंता-1 के अधीन संचालित विभागीय कार्यवाही को यथावत रखते हुए उन्हें तत्काल

प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। निलंबन मुक्त होने के उपरान्त श्री हिमांशु ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित करेंगे।

श्री हिमांशु के निलंबन अवधि के विनियमन पर निर्णय इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जाएगा।



(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-01-96/2022

376

/पटना, दिनांक:- 8-2-24

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अवर सचिव

ज्ञापांक:- 3/अ0प्र0-01-96/2022

376

/पटना/दिनांक:- 8-2-24

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल समस्तीपुर/गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5 एवं 6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री नवनील कुमार हिमांशु, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर, मुख्यालय-अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव